न्यायालय तहसीलदार (सदर) कानपुर नगर।

वाद सं0—598/10—11

महावीर सह0आ0स0 **बनाम** **श्रीमती रामलली**

धारा—34/35 एल0आर0 एक्ट ।

मौजा—बैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत विकयपत्र के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विकीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इस्तहार जारी किये गये जो बाद तामीली शामिल पत्रावली हैं। किसी ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुयी। वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। विकीत भूमि पर वादी का ही कब्जा व दखल है। विकेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विकीत भूमि के0डी0ए0, सीलिंग, भूदान, पट्टा आदि की नहीं है।

मैंने पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्यों को पढ़ा। पत्रावली में उपलब्ध मूल बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक में विकय किया जाना सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाता हूँ। अतः वादी का नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ग्राम बैरी अकबरपुर कछार की खतौनी वर्ष 1415 फ0 लगायत 1420 फ0 के खाता सं0 386 आराजी सं0 1044/0.328, 1090/0.051है0 कुल 2 किता कुल रकवा 0.379है0 के 1/4 भाग मालगुजारी 60ख से विकेती श्रीमती रामलली पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासिनी म0नं0 124/44बी ब्लाक गोविन्द नगर कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दिनॉक 07—08—2010 के आधार पर केता महावीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव श्री ए0के0जैन पुत्र श्री जे0के0 जैन निवासी म0नं0 73 आर0एस0पुरम काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर/सहकृषक दर्ज कागजात किया जावे। वाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफतर की जावे ।

दिनॉकः— 8.2.11

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर।

(16)

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE ... RUPEES

Attested ... Khan
Advocate
Court Compound, Kanpur

478

|| श्रीगणेशायनम: ||

मन कि श्रीमती रामलली पत्नी सुरेन्द्र कुमार वर्मा निवासिनी मकान नम्बर १२४।४४ बी ब्लाक गोविन्द नगर शहर कानपुर की हूँ।

विदित हो कि मिन मुकिर आराजी भूमिधरी नम्बरी १०४४ रकबा ०. ३२८ हे० व १०६० रकबा ०. ०५१ हे० कुल दो किता कुल रकबा ०. ३७९ हे० यानी १।।।)२ स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर के १।४ भाग की तनहा मालिक, काबिज दखील

रामलली

1000Rs

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(२)

संक्रमणीय भूमिधर काश्तकारिया है। मिन मुकिरा के हिस्से में अन्य कोई व्यक्ति हकदार व हिस्सेदार नहीं है, और न ही भागीदार है। कब्जा भी मिन मुकिरा का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी भूराजस्व अभिलेखों में बखाना मिलकियत है। मिन मुकिरा की उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित आज दिन तक कुल्ला बार किफालत से बरी पाक व साफ है। कहीं रेहन, बय, हिबा, मुस्तगरक, जमानत आदि नहीं है तथा किसी डिगरी व इजराये डिगरी में कुर्क अथवा बासरे नीलाम नहीं है, तथा मिन मुकिरा की किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक उक्त

रामलली
रामलली

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(3)

जायदाद को विक्रय आदि करने से भी नहीं रोका गया है। उक्त जायदाद किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक एक्वायर नहीं की गयी है और न ही मिन मुकिरा को एक्वायर करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुई है तथा मिन मुकिरा की उक्त जायदाद बैंक लोन आदि में बन्धक नहीं है तथा कोई इल्लत इनकम टैक्स या सेल टैक्स की नहीं है। गरजे कि जायदाद उपरोक्त आज दिन तक हरप्रकार बेपाक व साफ है तथा मिन मुकिरा को उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित को बजरिये बयनामा विक्रय करने सम्बन्धी समस्त अधिकार मालिकाना हासिल है। चूंकि मिन मुकिरा

राम लाली
रामवती

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(४)

को वास्ते खर्च खानगी व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति
हेतु रुपया की सख्त आवश्यकता दरपेश है, जो कि बिना
बेचे हुये आराजियात उपरोक्त विवरण हस्ब जैल मिन
मुकिरा की जरूरत रफा नहीं हो सकती है। लिहाजा
मिन मुकिरा ने उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित,
को बेचना उचित समझ कर बेचने की बाबत इधर उधर बात-
चीत की तो उपरोक्त आराजियात को मु० मालिक,काबिज
दखील महावीर सहकारी आवास समिति लि० मुख्य कार्यालय
सिटी सेण्टर मालरोड शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए० के० जैन
बालिग पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३ आर० एस०

रामलाल
रामलाल

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.　Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(५)

पुरम काकादेव शहर कानपुर बिल एवज मुबलिग ४६,२५०।- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया में मिन मुकिर का १।४ भाग विवरण निम्नलिखित को खरीद करने पर तैयार व रजामन्द हैं, कीमत निहायत मुनासिब व वाजिब है। तथा मिन मुकिरा को मंजूर व तस्लीम है। इससे ज्यादा कीमत में उक्त जायदाद नहीं बिक सकता है। उपरोक्त मरीदार समिति ने उक्त कुल आराजियात का निस्फ भाग पहले ही सह काश्तकारान शिवप्रसाद वगैरह से क्रय कर लिया है। लिहाजा बहालत सेहत जात व सबात अक्ल बदुरुस्ती होश हवास बिला

रामलली

रामलली

(६)

किसी दावे नाजायज के मय जुमला हक व हकूक दाखिली व खारिजी हाल व आयन्दा बिना छोड़े हुए किसी चीज के मय हक्क मालिकाना व इन्तकाली सहित बिल एवज मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपयामें बदस्तमहावीर सहकारी आवास समिति लि० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर मालरोड, शहर कानपुर जरिये सचिव श्री ए०के० जैन बालिग पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३, ना१० एस० पुरम, काकादेव शहर कानपुर को विक्रय कर दिया यानी बेंच डाला तथा मिन मुकिर ने कुल विक्रय धनराशि मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया जिसके आधे मुबलिग २३,१२५/- तेईस हजार एक सौ पचीस रुपया होते हैं, निम्नलिखित तफसील के अनुसार उपरोक्त

रामलला
रामलला

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है। निस्वत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रह गया है। मिन मुकिर ने आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा से अपना कब्जा दखल मालिकाना व वाकई कतई मौके से हटा कर मिस्ल अपने कब्जा दखल मालिकाना व वाकई जायदाद मुबैया हाजा पर आज की तारीख से खरीदार समिति को करा दिया तथा मालिक, काबिज करा दिया, आज की तारीख से खरीदार समिति जायदाद मुबैया हाजा का एक मात्र मालिक, काबिज व दाखिल हो गया तथा उसे कुल अधिकार जायदाद मुबैया हाजा की

रामलली
रामलली

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

निस्बत मालिकाना, इन्तकाली, दाखिली व खारिजी हालय बायन्दा के हासिल हो गये हैं। अब खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद मुबैया हाजा पर मालिक, काबिज वदखिल रह कर जिस प्रकार से चाहे अपने स्तेमाल व प्रयोग में लावे। हमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा को कोई उजुर व एत-राज न होगा। खरीदार समिति को चाहिए कि वह अपना नाम कागजात सरकारी में बनाम मिलकियत दर्ज करा लेवे, तथा दर्ज नाम मिन मुकिरा खराज करा देवे। जिसकी रजामन्दी इस बयनामा हाजा द्वारा समझी जावेगी। फिर

रामलाल
रामलाल

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

भी यदि कहीं जरूरत पड़ी तो मुकिरा अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी देने को पाबन्द रहेगी। मिन मुकिरा ने जायदाद उपरोक्त के पूर्ण रूप से पाक व साफ होने का यकीन व इतमिनान खरीदार समिति को करा दिया है। फिर भी यदि मुकिरा के फेल या तर्केफेल या नुक्स मिलकियत आदि की वजह से जायदाद मुबैया हाजा का कुल या जुज भाग कब्जा दखल खरीदार समिति के हक से निकल जावे या खरीदार समिति को जायदाद मुबैया हाजा की निस्बत आज दिन तक की बाबत कुछ भी अदा या सर्फ करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिरा व वारि-

रामलाली

रामलाली

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

सान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिराकी होगी, और मन्दिर समिति को अधिकार होगा कि वह अपना कुल जर समन मय हरजा खर्चा के मुकिरा की दीगर जात खास जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा को कोई उजुर व एतराज न होगा। जुमला शरायत दस्ता-वेज हाजा की पाबन्दी मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा पर लाजिम व वाजिब होगी।

राम लाला

राम लाला

100 Rs

INDIA NON JUDICIAL

Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दाब नाजायज के स्वस्थ्य, मन, बुद्धि, चित्त व इन्द्रियों की स्वस्थ्य दशा में बिना किसी के बहकाये या बरगलाये राजी खुशी से यह चन्द कलमात बतौर बयनामा कतई तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरुरत पर काम आवै।

विवरण जायदाद मुबैया

आराजियात भूमिधरी नम्बरी १०४४ एक हजार चवालिस रकबा ०. ३२८ हे० शुन्य दशमलव तीन दो आठ

रामलली
रामलली

100Rs.

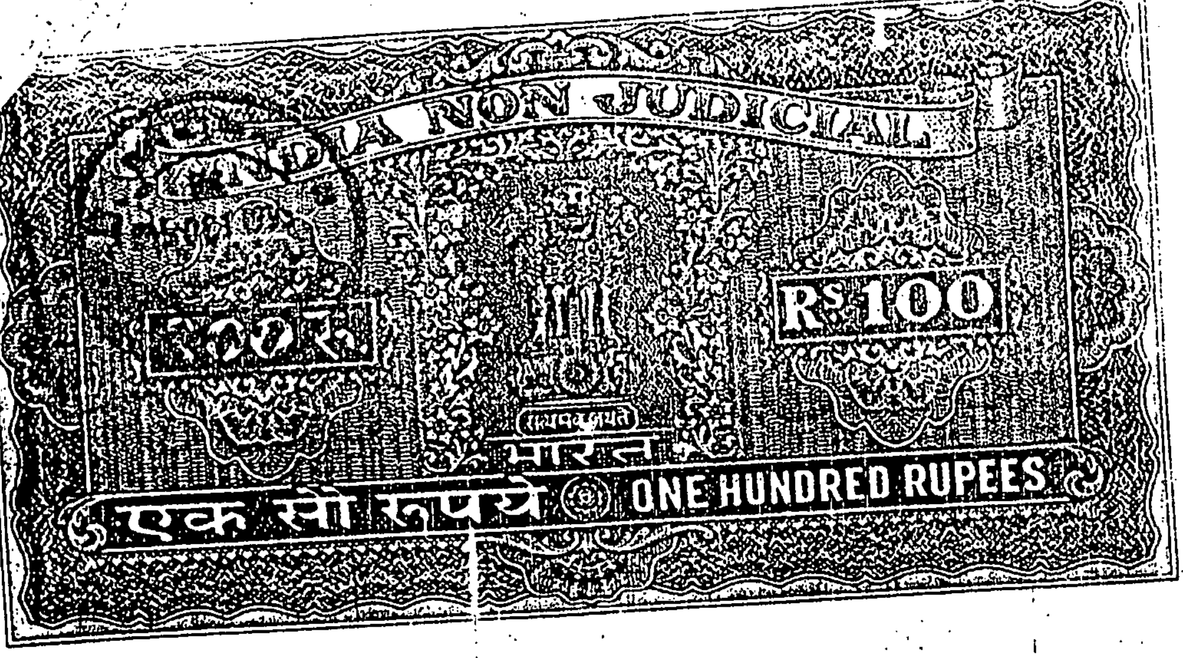

(१२)

है० व आराजी भूमिधरी नम्बरी १०६० एक हजार नब्बे रकबा ०.०५१ है० शून्य दशमलव शून्य पाँच एक है० कुःदो किता कुल रकबा ०.३७६ है० यानी रकबा १।।।)२ एक बीघा सत्तरह बिस्वा स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का १।४ एक बटा चार भाग विक्रय किया गया है। भूमि बेचने की आज्ञा श्रीमान् सक्षम प्राधिकारी महोदय नगर भूमि सीमारोपण कार्यालय पारयती बागला रोड शहर कानपुर से बजरिये पत्र संख्या ६८० कृषि भूमि उन्॰ १९९५ ई० को

रामलला
रामलला

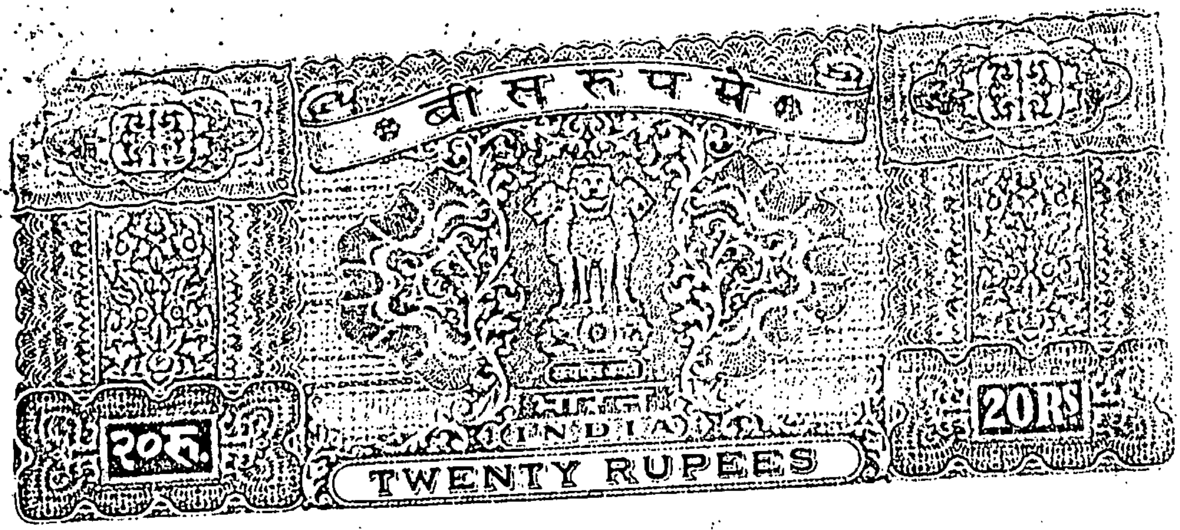

(१३)

प्राप्त करली है। स्टाम्प डियूटी सरकारी निर्देशानुसार सर्किल रेट ३,००,०००/- रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ७०,५००/- रुपया पर मुबलिग १०,२२५/- रुपया की अदा कीगयी है। अब मेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। मुकिरा अनुसूचितजाति एवं अनुसूचित जनजाति की नहीं है। जोन नम्बर २ ब्लाक कल्यानपुर है।

चौहद्दी-

पूरब- खा०नं० १०९१ राम कुमार, बाबूराम व राजकुमार

पश्चिम- खा०नं० १०८९ क्रेता महावीर सह०आ० समितिलि०

उत्तर- आराजी नम्बर १०९० का जुज भाग मिलकियती क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति

दक्षिण- बैरीअकबरपुर बांगर

तफसील वसूलयाबी जरे समन मुबलिग ४६,२५०/- कियालिस

रामलली
रामलली

...Compound, Kanpur

INDIA

पाँच रुपये — पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

5 RS

(१४)

हजार दो सौ पचास रुपया।

मुवलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया रुबरु श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिरा ने उपरोक्त खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- १०-१०-१९९५ ई० [signature]

गवाह१- [signature]

गवाह-२ [signature]

टाइपकर्ता [signature]

राजेश कुमार सिंह,
ल०न० ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME

[signature]

Ashfaq Khan
Advocate
Court Compound, Kanpur

73

5 RS

INDIA

पाँच रुपये

सत्यमेव जयते

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया

रूबरू श्रीमान् सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के मुकिर ने

उपरोक्त खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है निस्बत

समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- २४-११-१९९५ ई०

सुशीला देवी

सुशीला देवी

गवाह१- [illegible]

गवाह-२ [illegible]

टाइपकर्ता-

राजेश कुमार सिंह,

ला नं० ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME

[signature] Advo

[illegible] Kumar Sriv[illegible]

ADVO[illegible]

2602 — 90 — 12

क्रम सं० मूल्य/शामिल स्टाम्प ....
कुल पी०ओ०ओ० ....
कुल/फरी ....
पता ....
मुख्तार ....

..... आर. स्टाम्प विक्रेता
......., कानपुर नगर, ला० नं० ४०

न्यायालय तहसीलदार (सदर) कानपुर नगर
वाद सं0 591/04 धारा-34/35 L.R. Act.
आदेश दिनांक 8-2-11
बैनामा वापसी दिनांक 14-2-11
वाचक
तहसीलदार सदर
कानपुर नगर

1455/08

7/8/10

न्यायालय अपर जिलाधिकारी (वि/रा) कानपुर नगर
वाद सं० 156/10-11 ता० फै० 28-7-10
सरकार बनाम महावीर को० हा० सोसा०

की बकाया की कमी स्टाम्प शुल्क 113170 ₹
व अर्थ दण्ड 5000 ₹ कुल 118170 ₹ रुपये
चालान न० 15053 दिनांक 28-7-10
श्री महावीर हाउसिंग सोसा० लि० द्वारा अमरपुर कछार परगना व जिला कानपुर
से वसूल करके स्टेट बैंक आफ इन्डिया कानपुर में
जमा हो चुकी। दस्तावेज समुचित शुल्क पर
आधारित है।

अपर जिलाधिकारी (वि/रा)
[illegible]

07/08/10
बही संख्या I जिल्द 4504 पृष्ठ संख्या
01/20 पर क्रम संख्या 3607 पर
रजिस्ट्रीकृत किया गया

उप निबन्धक-II
कानपुर नगर

क्रम सं० 9 ... 18 ...
क्रेता श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी श्री
पता
दस्तावेज

न्यायालय बहुधी
वाद सं० 9781
आदेश दि० 18-5-9
वापसी दि० 28-5-9

क्र० सं० 1718 के द्वारा रजिस्ट्री
कार्यवाह स्थगित की गई।

उप नि०
25/11/98

क्र० सं० 74 ... रजिस्ट्री
कार्यवाह ...

उप नि० 22-2-2000

22-2-2000
2 1538
... 292
40/74

उप निबन्धक

बहीनामा 1 जिल्द 2016 के पृष्ठ 01/05 से क्र० सं० 292/200 पर
आज दिनांक 07/12/2001 को लिपि बद्ध किया गया।

सत्य प्रतिलिपि

उप रजिस्ट्रार
दिनांक 8-4-09